23/12/19 आज पंचायती वाड़ी श्री छोटेलाल पुत्र सूताराम निवासी सांगड़ा तह० गुढ़ागौड़जी के प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर वाड़ी के न्यायालय के समक्ष वाड़ को तोड़ देने से रोकित किये जाने बाबत का निषेधाज्ञा दिया। वाड़ी के प्रार्थना पत्र के आधार पर वाड़ को तोड़ देख दिया जाकर पंचायती ऊपी स्तर पर कार्यवाही रोप कि जाती की सुनाया गया। पंचायती कमल कुमार दोकर नम्बर दे. कार्यवाही वाड़ा वगैरह जब्त किया लेख अफसर की।

Post Proceeding

99 छोटेलाल

उपखण्ड अधिकारी
गुढ़ागौड़जी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Yadav
Date: 2020.01.01 16:47:40 IST
Reason: SelfAttested